



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2004/फाल्गुन 1, 1925

No. 185]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2004/PHALGUNA 1, 1925

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2004

New Delhi, the 20th February, 2004

का.आ. 217(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, एतद्वारा निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) के उपबंधों के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

S.O. 217(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the provisions of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) within the National Capital Territory of Delhi.

[फा. सं. यू.-11030/2/2003-यूटीएल]

[F. No. U-11030/2/2003-UTL]

पी० के० जलाली, संयुक्त सचिव

P. K. JALALI, Jt. Secy.